कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 03.10.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–15 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में जनपद गोंडा के थाना तरबगंज पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. आशोक कुमार पुत्र रामधन नि0 ग्राम डिक्सिर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 13 अदद नगीना ब्राण्ड देशी शराब बरामद कर मु0अ0सं0–315/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

02. थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. प्रभू पुत्र पितई नि0 ग्राम गनेशपुर ग्रंट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–444/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

03. थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. शनी पुत्र शिवपाल नि0 ग्राम दुर्गागंज मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–479/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

04. थाना को0 देहात पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. जवाहिर पुत्र सुखराम नि0 विशुनपुर बैरिया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–539/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 03.10.2023

थाना खोड़ारे क्षेत्र के अन्तर्गत मिली अधजली महिला के शव की घटना का खुलासा, आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 30.09.2023 को थाना खोड़ारे क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम जगन्नाथपुर स्थित पंपापुर जंगल के पास एक अधजली महिला का शव प्राप्त हुआ था। सूचना पर उच्चाधिकारीगणों द्वारा डॉग स्क्वायड एवं फॉरेसिंक टीम के साथ घटना स्थल की जांच की गयी थी। शव की शिनाख्त मीना देवी के नाम पर हुई थी। मृतका की पुत्री ज्योति पुत्री हरिप्रसाद नि0 सेसुई इटवा सिद्धार्थनगर की तहरीर पर थाना खोड़ारे में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा आरोपी अभियुक्त की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु टीमे गठित कर प्र0नि0 खोड़ारे को निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा पतारसी–सुरागरसी कर घटना कारित करने के आरोपी अभियुक्त भगवानदीन को आज दिनांक 03.10.2023 को चन्द्रदीप घाट पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि गिरफ्तार अभियुक्त झाड़–फूंक का काम किया करता था। झांड़–फूंक के बहाने अक्सर अभियुक्त मृतका के घर आया जाया करता था। फरवरी 2023 में मृतका अभियुक्त भगवानदीन के साथ अपना घर छोड़कर चली आयी थी और उसी के साथ रहती थी। अभियुक्त भगवानदीन मृतका से गलत काम करवाना चाहता था महिला के मना करने से भगवानदीन छुब्ध हो गया था और इसी बात के चलते भगवानदीन द्वारा सुनियोजित तरीके से महिला को पंपापुर जंगल के पास ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी तथा शव की शिनाख्त न हो इस कारण महिला को जला दिया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. भगवानदीन पुत्र रघुनाथ नि0 देईपार भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–236/23, धारा 302,201 भादवि थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
प्र0नि0 खोड़ारे अरविन्द कोरी मय टीम।

<u>सराहनीय कार्य</u>

<u>प्रेस नोट</u>

<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>

<u>दिनांक 03.10.2023</u>

दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत महिला सम्बन्धी अपराधों में अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 देहात पुलिस ने दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त–अमित उर्फ शिवम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना को0 देहात क्षेत्र की रहने वाली एक लडकी के साथ शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म किया था तथा बाद में शादी करने से मनाकर दिया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना को0 देहात में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

01. अमित उर्फ शिवम सिंह पुत्र रामहरख सिंह नि0 जफरपुर थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–497/23, धारा 376डी,313,323,506 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

अ0नि0 शिवानन्द प्रसाद थाना को0 देहात मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 03.10.2023

'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से गैरइरादतन हत्या करने के 06 आरोपी अभियुक्तों को हुई 10–10 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपए 28,000–28,000 हजार के अर्थदण्ड की सजा–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप मारपीट करने के 06 आरोपी अभियुक्तों को 10–10 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपए 28,000–28,000 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना तरबगंज पुलिस ने गैरइरादतन हत्या करने के आरोप में 06 आरोपी अभियुक्तों–01. रामसुख, 02.विजय कुमार, 03. तेज बहादुर, 04. मोनू चौहान, 05. सुमन देवी, 06. रामबदल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अभिनव चतुर्वेदी, मॉनिटरिंग सेल व थाना तरबगंज के पैरोकार का0 सूर्यभान के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–2 कोर्ट गोण्डा ने 10–10 वर्ष का सश्रम कारावास व रुपये 28–28 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्तगण का नाम पता–

01. रामसुख पुत्र स्व0 रामअचल नि0 लोनियन पुरवा मौजा धनौली थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
02. विजय कुमार पुत्र रामसुख चौहान नि0 लोनियन पुरवा मौजा धनौली थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
03. तेज बहादुर पुत्र रामसुख चौहान नि0 लोनियन पुरवा मौजा धनौली थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
04. मोनू चौहान पुत्र रामसुख चौहान नि0 लोनियन पुरवा मौजा धनौली थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
05. सुमन देवी पत्नी विजय चौहान नि0 लोनियन पुरवा मौजा धनौली थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
06. रामबदल पुत्र रामअचल चौहान नि0 लोनियन पुरवा मौजा धनौली थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–260/20, धारा 147,148,323,149,504,308,149,304,149 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

<u>सराहनीय कार्य</u>
<u>प्रेस नोट</u>
<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>
<u>दिनांक 03.10.2023</u>

चोरी करने का आरोपी अभियुक्त गिफ्तार, चोरी की 01 अदद भैस बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 करनैलगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर चोरी करने के आरोपी अभियुक्त मनीष दूबे को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद चोरी की भैस बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 01/02.10.2023 की रात्रि ग्राम मैजापुर खुम्भापुरवा से एक भैस चोरी की थी। जिसके सम्बन्ध में वादिनी मीरा देवी पत्नी राजाराम द्वारा थाना को0 करनैलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 करनैलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>
01. मनीष दूबे पुत्र हृदयराम दूबे नि0 छोटी पुरवा मौजा परसा गोड़री थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>
01. मु0अ0सं0–576/23, धारा 379,411 भादवि थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>
01. 01 अदद चोरी की भैस

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>
उ0नि0 संजीव चौहान मय टीम।